



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015



क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
नृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
Rajendra Place, New Delhi – 110008
Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

A-33012/3/2024-DPC-2

दिनांक :- 29.09.2025

कार्यालय आदेश संख्या 23 वर्ष 2025 डीपीसी – 2

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क. रा. बी. नि.) मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या ए-28/12/1/2009-चि-6 दिनांक 09.05.2011 के माध्यम से भेषज के वेतनमान के संबंध में "फास्ट ट्रैक समिति" की सिफारिशों को अपनाया है। इसमें प्रवेश स्तर के ग्रेड (पे बैंड पीबी-1 में 2800 रुपये का ग्रेड पे) में दो साल की सेवा के बाद भेषज के लिए अगले उच्च ग्रेड (पे बैंड पीबी-2 में 4200 रुपये का ग्रेड पे) में गैर-कार्यात्मक उन्नयन (एनएफयू) प्रदान करना शामिल है। गैर-कार्यात्मक ग्रेड के तहत 2 वर्ष पूरा करने के बाद भेषज को प्रदान किया जाने वाला 4200 रुपये का यह ग्रेड वेतन (7 वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6) एमएसीपी योजना के तहत एक वित्तीय उन्नयन के रूप में गिना जाएगा और इसे प्रथम एमएसीपी के रूप में माना जाएगा। उपर्युक्त मुख्यालय के पत्र में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार एवं दिनांक 22-09-2025 को आयोजित विभागीय अनुवीक्षण समिति (Departmental Screening Committee) की अनुशंसा के आधार पर, क्षेत्रीय निदेशक ने एतद्वारा निम्नलिखित कर्मचारी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार गैर-कार्यात्मक एवं सं.आ.क.प्र. योजना के आधार पर वित्तीय उन्नयन प्रदान करने का अनुमोदन किया है।

ESIC vide Hq. letter no. A-28/12/1/2009-Med 6 dated 09.05.2011 adopted the "Fast Track Committee's" recommendations regarding the pay scale of pharmacists. This included granting a non-functional upgradation (NFU) to the next higher grade (Grade Pay of Rs. 4200 in Pay Band PB-2) for pharmacists after two years of service in the entry-level grade (Grade Pay of Rs. 2800 in Pay Band PB-1). This Grade Pay of Rs 4200 (Level 6 in pay matrix as per 7th CPC) awarded to Pharmacists after completion of 2 years under Non-Functional Grade, would be counted as one financial upgradation under MACP scheme and has to be treated as 1st MACP. In pursuance of above mentioned Hq letter and as per the recommendations of meeting of the Departmental Screening Committee held on 22-09-2025, Regional Director, Delhi has approved the grant of Financial upgradation on non-functional basis and MACP scheme to the following employee as per the details given below

क्रम. संख्या	नाम, कर्मचारी संख्या , पदनाम एवं सातवे वेतन आयोग का वर्तमान वेतनमान लेवल व नियुक्ति तिथि (Name, Emp ID, Designation , present pay level of 7 th CPC & Date of appointment)	वर्तमान तैनाती स्थल (Place of posting)	सं.आ.वृ.प्रो. योजना के तहत वित्तीय अन्नयन प्रदान करने की तिथि (Date from which financial up-gradation under MACP Scheme is granted)	प्रथम/द्वितीय/तृतीय आ.आ.वृ.प्रो. (1 st / 2 nd / 3 rd MACP)	वित्तीय उन्नयन पर सातवे वेतन आयोग का अनुशंसित वर्तमान लेवल (Pay level of the 7 th CPC in which Financial upgradation is granted)
1	Ravi Kumar, 122433, Pharmacist, Level-6 DOA – 29.09.2010	ESIC H Okhla	1 st MACP (NFU) w.e.f. 29.09.2012 (Level 6)	1 st	Level -6
			2nd MACP w.e.f 29.09.2022 (Level 7)	2nd	Level -7

It may be noted

- सं.आ.क.प्र. योजना / एनएफयू के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा । तथापि कर्मचारी के आहरित वेतन से संभन्धित वित्तीय एवं अन्य निश्चित लाभ ग्रहण होंगे । सं.आ.क.प्र. योजना के तहत उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन, स्थापना शाखा 3, क.रा.बी. निगम मुख्यालय द्वारा संबन्धित विषय पर परिचालित DoP&T OM no.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 मे निहित अनुदेशों व समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों/स्पष्टीकरण आदि के अनुसार निर्धारित होगा । यदि कर्मचारी इस वित्तीय उन्नयन के पहले ही पूर्णतः तदर्थ आधार पर उच्च पदासीन है (यदि हैं) , तो DoP&T OM dated 22/10/2019 के पैरा संख्या 25 के अनुसार नियमन होगा ।

On grant of financial up-gradation under the MACPS / NFU, there shall be no change in the designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits, which are linked to the

pay drawn by an employee shall be permitted. Above financial up-gradation under the MACP Scheme shall, be subject to the terms and conditions mentioned in DoP&T OM No.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 and further instructions/clarifications issued from time to time and circulated by Establishment Brach-III, Hqrs. on the subject. In case the employees are already holding the higher post purely on ad-hoc basis before the date of recommendation of financial up- gradation (if any) , the case may be regulated as per para 25 of Annexure-I of DoP&T OM dated 22/10/2019.

2. सं.आ.क.प्र योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अंतिम होगा और नियमित पदोनीति के समय कोई वेतन नियतन नहीं होगा । उपर्युक्त कर्मचारी का वित्तीय उन्नयन पर वेतन DoP&T OM No.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 के पैरा संख्या 4 से 7 के अनुसार नियत होगा तथा सामान्य वेतन नियमावली और प्रतिमानकों में वर्णित एफआर 22(I) (ए)(1) के अंतर्गत कर्मचारी वित्तीय उन्नयन आदेश की तिथि या अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन नियतन के संबंध में अपना विकल्प वित्तीय उन्नयन आदेश की तिथि के एक माह के अंदर तक प्रस्तुत करेंगे ।

The financial benefit allowed under the MACP Scheme shall be final and no pay fixation benefits shall accrue at the time of regular promotion. On upgradation under the MACP Scheme, pay of the official shall be fixed as per para 4 to 7 of Annexure-I DoP&T OM dated 22/10/2019 and the official has the option under FR 22(I)(a)(1) to get the pay fixed in the higher level of pay in the pay matrix either from the date of the financial up-gradation or from the date of his next increment within one month of the date of issue of the order.

3. उपर्युक्त आदेश मे यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाए तो उसे वेतन नियतन से पहले डीपीसी-2 शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली को सूचित कर दिया जाए ।

If any discrepancy is found in the above order, the same shall be brought to the notice of DPC- 2 Branch, Regional Office Delhi before fixation of pay.

4. नियंत्रक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करे, की संबन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका मे उपर्युक्त कार्यालय आदेश की संबन्धित पृष्ठियाँ की जाए और वेतन नियतन के संबंध मे आवश्यक कार्यवाई शुरू की जाए ।

The Controlling Authority shall ensure that relevant entries of the above-mentioned office order are made in the service book of the concerned official and necessary action is initiated regarding fixation of pay.

(राखी सैनी)

सहायक निदेशक (डीपीसी-2)

प्रतिलिपि (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु)

- 1) संबन्धित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से ।
- 2) संबन्धित अधिकारी के निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त) क.रा.बी.नि. ओखला।
- 3) क.रा.बी.नि. अस्पताल ओखला को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- 4) रोकड शाखा/लेखा शाखा , क.रा.बी.नि. अस्पताल ओखला।
- 5) प्रशासन शाखा -2 , क्षेत्रीय कार्यालय , दिल्ली।
- 6) आईटी. सेल निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली , (आईटी सैल) / वैबसाइट कर्टेंट मैनेजर (आईटी सैल) दिल्ली को वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 7) गार्ड फाइल।